न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 50–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–12–14 पारित द्वारा तहसीलदार टिमरनी जिला हरदा, प्रकरण कमांक 2/अ–13/2014–15.

—

रमेश आ0 श्री हरीरामजी जाट,
निवासीग्राम बाजनियां तहसील टिमरनी,
जिला हरदा म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती मालतीबाई पत्नि रमेश चंद्र गुर्जर,
निवासीग्राम गाड़रापुर तहसील टिमरनी जिला हरदा

.....अनावेदक

.....

श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अभिभाषक, आवेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/11/16 को पारित)

आवेदकग द्वारा यह निगरानी म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार तहसील टिमरनी जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार टिमरनी जिला हरदा के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका के भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम गाडरापुर प0ह0नं016 कृषि भूमि खसरा नम्बर 50/7, 50/12, 50/14, 50/15 रकबा 5.75 एकड़ भूमि राजस्व अभिलेख

में दर्ज होकर आधिपत्यधारी है । अनावेदिका को स्वयं उसके पति एवं पुत्र के साथ कृषि कार्य करते हैं इस भूमि पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 50/8 की दक्षिण दिशा से 20 कड़ी का रास्ता पूर्व भूमि स्वामी द्वारा विकय करते समय रजिस्ट्री में इन्द्राज सहित दिया था। आवेदक द्वारा उक्त रास्ते को बखरकर रास्ता अवरूद्ध किया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही अनावेदिका द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का अनुरोध भी किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–13/2014–15 दर्ज कर दिनांक 26–12–2014 से अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदिका को उनकी भूमि पर जाने के लिये अंतरिम रू॰ से रास्ता उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका द्वारा उनके स्वामित्व की भूमियॉ पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है और विकय पत्र में रास्ते का कोई उल्लेख नहीं है । यह भी कहा गया कि अनावेदक के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, जिसका वे उपयोग कर सकते हैं, परन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदक की भूमि में से अनावेदिका को रास्ता देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, अतः तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाये ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका को अपनी भूमि पर आने–जाने के लिये कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, अतः तहसीलदार द्वारा अंतरिम रूप से अनावेदिका को रास्ता उपलब्ध कराने में वैधानिक एवं न्यायसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण में रास्ता होना व रास्ते को आवेदक द्वारा अवरूद्ध कराना पाया गया है, इसलिये अंतरिम रूप से तहसीलदार द्वारा रास्ता उपलब्ध कराने में न्यायिक कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अनावेदिका को अभी अंतरिम रूप से रास्ता दिया गया है, और प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहॉ

आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा निगरानी बलहीन होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने का आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार को अभी प्रकरण अंतिम रूप से निराकरण करना है, जहॉ आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील टिमरनी जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर